वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 24.06.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, आज, राष्ट्रीय सहारा, न्यायाधीश," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 24.06.2025

आसान हुई एचएफएल क्षेत्र के जर्जर भवनों की मरम्मत

वाराणसी। गंगा से दो सौ मीटर के दायरे में जर्जर भवनों की मरम्मत आसान हो गई है। शासन की ओर से काशी के संपूर्ण हाई फ्लड लेवल (एचएफएल) क्षेत्र के भवनों की मरम्मत की अनुमति दी गई है। इसका पत्र जारी हो गया है। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि शासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। इससे काशीवासी अब अपने जर्जर भवनों की मरम्मत करा सकेंगे। यह अनुमति एनएमसीजी के आदेश 2016 और न्यायालय की ओर से पूर्व में पारित आदेशों के अधीन प्रभावी होगी। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 24.06.2025

हेल्प डेस्क के नवीनीकरण कार्य का उद्घाटन

वाराणसी। विकास प्राधिकरण परिसर में हेल्प डेस्क के नवीनीकरण कार्य का उद्घाटन सोमवार को वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग और सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्र ने किया। यहां लोगों को प्राधिकरण से जुड़ी जानकारी मिल सकेंगी। इसके अलावा वीडीए से जुड़ी हर प्रकार की सहायता मिलेगी। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 24.06.2025

वीडीए हरियाली को लेकर करेगा जागरूक

वाराणसी : वीडीए शहर में हरियाली बढ़ाने को लेकर जन-जागरूकता अभियान चलाएगा। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि शहर को स्वच्छ, सुंदर व हरित बनाने के उद्देश्य से उद्यान प्रशिक्षण एक कार्यशाला आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य प्रकृति प्रेमियों, बागवानी के प्रति उत्साही नागरिकों व नर्सरी स्थापना में रुचि रखने वालों को व्यावहारिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना है। 30 जून को पड़ाव स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति उपवन में सुबह 11 बजे, सात जुलाई को डीआइजी कालोनी में वीडीए पार्क में, 15 जुलाई को रविदास पार्क में कार्यशाला आयोजित करेगा। (जासं)

दैनिक जागरण–दि0 24.06.2025

प्रयास करने का आश्वासन दिया

एचएफएल क्षेत्र में मिलेगी भवन मरम्मत की अनुमति

जागरण संवाददाता, वाराणसी : बनारस और चंदौली (वीडीए सीमा) जिले में गंगा किनारे रहने वाले के कई गांवों, मोहल्लों और बस्ती के पांच लाख से अधिक आबादी के लिए राहत भरी खबर है। कई दशक से हाई फ्लड लेवल यानि उच्च बाढ़ स्तर (एचएफएल) का दर्द झेल रहे लोगों को निर्माण पर लगी रोक पर कुछ राहत मिल गई है। वाराणसी विकास प्राधिकरण के प्रयास के चलते दोनों जिलों को मिलाकर पांच हजार से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में जर्जर और टूटे मकान के मरम्मत की अनुमति पर आवास एवं शहरी नियोजन प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद ने सोमवार को मुहर लगा दी। पहले चरण में वीडीए ने नरायनपुर से पड़ाव तक का फ्लाइविंग इंटर प्राइजेज (बीएचयू स्टार्टअप कंपनी) से ड्रोन सर्वे कराया था। इसके बाद शहरी क्षेत्र गोदौलिया से असि होते हुए सामने घाट तक एचएफएल क्षेत्र का ड्रोन सर्वे कराकर रिपोर्ट शासन को भेजी थी।

वर्ष 1978 में आई बाढ़ में चंदौली जिले के कटेसर, साहूपुरी समेत कई गांव, बनारस के रामनगर, गोदौलिया चौराहे से लक्सा थाने तक पानी पहुंच गया था। उस दौरान सूरत की एक एजेंसी की रिपोर्ट पर वीडीए ने एचएफएल क्षेत्र घोषित कर दिया था।

गोदौलिया चौराहा • जागरण

52 लाख में बने फ्लैपर गेट

रामनगर क्षेत्र में गंगा के पानी को रोकने के लिए विभिन्न पुलिया पर वीडीए ने सिंचाई विभाग की मदद से छह फ्लैपर गेट बनवाए हैं। वीडीए ने सिंचाई विभाग को 52 लाख रुपये दिए थे। साहूपुरी, कटेसर समेत कई गांवों में गंगा का पानी नहीं जाता है।

शहर में प्रभावित इलाका : गोदौलिया, कोदई चौकी, जंगमबाड़ी, मदनपुरा, पांडेय हवेली, सोनारपुरा, शिवाला, भदैनी, अस्सी, रविंद्रपुरी, रामापुरा, लक्सा, कमच्छा, रेवड़ी तालाब, गौरी गंज, भेलूपुर, चेतमणि, गुरुधाम आदि।

मुगलसराय से रामनगर इलाका : साहूपुरी, कटेसर, रामनगर, सेमरा, पड़ाव का कुछ हिस्सा, चौरहट, रतनपुर आदि।

❝ वर्ष 1978 में आई बाढ़ को लेकर एचएफएल क्षेत्र चिह्नित किया गया है। पांच दशक में उन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति काफी बदल चुकी है। गंगा का पानी इन क्षेत्रों में नहीं आता है। एचएफएल क्षेत्र होने से लोगों को निर्माण करने में परेशानी होती थी। काफी प्रयास के बाद शासन ने एचएफएल क्षेत्र में जर्जर और टूटे मकान को मरम्मत की अनुमति देने का आदेश दिया है।

-पुलकित गर्ग, उपाध्यक्ष, वीडीए।

पांच दशक में एचएफएल क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति काफी बदल गई है। वह इलाका ऊंचा होने के साथ अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है लेकिन एचएफएल क्षेत्र होने के चलते वहां नए निर्माण पर रोक है। विकास प्राधिकरण नक्शा पास नहीं कर सकता है। साथ ही उन क्षेत्रों में अवैध निर्माण जारी है। कार्रवाई के बाद भी निर्माण कर रहे हैं। इन तमाम परेशानियों को देखते हुए वीडीए ने एक एजेंसी से एचएफएल क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति यानि वस्तु स्थिति सर्वे कराने की योजना बनाई थी।

वीडीए शर्तों पर देगी एनओसी : गंगा घाट किनारे से 200 मीटर दायरे में निर्माण पर कोर्ट से स्टे है। बाद में कोर्ट के संशोधन आदेश पर वीडीए गंगा किनारे से 200 मीटर तक भवन मरम्मत की अनुमति शर्तों पर देता है। वीडीए के नगर नियोजक प्रभात कुमार ने बताया कि गंगा किनारे जिन शर्तों पर मरम्मत की अनुमति दी जाती है, उन्हें यहां भी लागू किया जाएगा।

कौटिल्य संस्था का हाईकोर्ट से स्टे : एचएफएल क्षेत्र में अवैध निर्माण होने पर कौटिल्य संस्था ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हुए स्टे लिया है। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन, वीडीए समेत कई विभागों को पार्टी बनाया है। एचएफएल क्षेत्र में अवैध निर्माण होने पर हाईकोर्ट प्रशासनिक संग वीडीए अधिकारियों को कई बार तलब कर चुका है।

एचएफएल क्षेत्र कम करने को लेकर वीडीए भी हाईकोर्ट गया है। वहीं, अन्य लोगों ने भी जनहित याचिका दायर की है। जनहित में कई याचिका दायर होने पर कोर्ट ने वीडीए से इस संबंध में सुझाव मांगा था। साथ ही वीडीए बोर्ड की 130वीं बैठक में इस पर चर्चा भी हुई थी।

न्यायाधीश–दि0 24.06.2025

उद्यान प्रशिक्षण कार्यशाला की तिथियाँ व स्थान निर्धारित

वाराणसी । उपाध्यक्ष वाविप्रा पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार शहर को अधिक स्वच्छ, सुंदर एवं हरित बनाने के उद्देश्य से ङ'उदयान प्रशिक्षण'ङ नामक एक विशेष कार्यशाला श्रृंखला प्रारंभ की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य प्रकृति प्रेमियों, बागवानी के प्रति उत्साही नागरिकों एवं नर्सरी स्थापना में रुचि रखने वाले लोगों को व्यावहारिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना है। 'कार्यशाला की तिथियाँ एवं स्थान: 30 जून 2025 (सोमवार) - पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क, पड़ाव (प्रातः 11:00 बजे से)07 जुलाई 2025 (सोमवार) - पार्क / DIG कॉलोनी पार्क (प्रातः 11:00 बजे से)15 जुलाई 2025 (मंगलवार) - रविदास पार्क (प्रातः 11:00 बजे से) इन कार्यशालाओं में प्रतिभागियों को निमनलिखित विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगाः | घरेलू या व्यवसायिक स्तर पर नर्सरी की स्थापना की विधियाँ मौसमी पौधों की कटिंग एवं रोपण तकनीक खाद व जल का संतुलित उपयोग - मात्रा, समय और विधि पौधों के लिए उपयुक्त 'बेड' का निर्माणवाराणसी विकास प्राधिकरण नागरिकों से अनुरोध करता है कि वे इस प्रशिक्षण अभियान से जुड़कर अपने घरों, मोहल्लों और सार्वजनिक स्थलों को हरा-भरा बनाने में योगदान दें।

हिन्दुस्तान–दि0 24.06.2025

उद्यान प्रशिक्षण कार्यशाला की तिथियाँ व स्थान निर्धारित

वाराणसी । उपाध्यक्ष वाविप्रा पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार शहर को अधिक स्वच्छ, सुंदर एवं हरित बनाने के उद्देश्य से ङ'उद्यान प्रशिक्षण'ङ नामक एक विशेष कार्यशाला श्रृंखला प्रारंभ की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य प्रकृति प्रेमियों, बागवानी के प्रति उत्साही नागरिकों एवं नर्सरी स्थापना में रुचि रखने वाले लोगों को व्यावहारिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना है। 'कार्यशाला की तिथियाँ एवं स्थानः 30 जून 2025 (सोमवार) - पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क, पड़ाव (प्रातः 11:00 बजे से)07 जुलाई 2025 (सोमवार) - पार्क / DIG कॉलोनी पार्क (प्रातः 11:00 बजे से)15 जुलाई 2025 (मंगलवार) - रविदास पार्क (प्रातः 11:00 बजे से) इन कार्यशालाओं में प्रतिभागियों को निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगाः । घरेलू या व्यवसायिक स्तर पर नर्सरी की स्थापना की विधियाँ मौसमी पौधों की कटिंग एवं रोपण तकनीक खाद व जल का संतुलित उपयोग - मात्रा, समय और विधि पौधों के लिए उपयुक्त 'बेड' का निर्माणवाराणसी विकास प्राधिकरण नागरिकों से अनुरोध करता है कि वे इस प्रशिक्षण अभियान से जुड़कर अपने घरों, मोहल्लों और सार्वजनिक स्थलों को हरा-भरा बनाने में योगदान दें।

न्यायाधीश–दि0 24.06.2025

वाविप्रा स्थित हेल्प डेस्क के नवीनीकरणोपरांत हुआ उद्घाटन

वाराणसी ।वाविप्रा परिसर में स्थित हेल्प डेस्क के नवीनीकरण (Renovation) उपरांत उसका उद्घाटन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री पुलकित

गर्ग द्वारा सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की उपस्थिति में किया गया।नवीन सुविधाओं से सुसज्जित यह हेल्प डेस्क नागरिकों को प्राधिकरण से जुड़ी जानकारियाँ, सेवाएँ एवं सहायता सरल, सहज और त्वरित रूप से उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह पहल जनसुविधा को प्राथमिकता देने की दिशा में प्राधिकरण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 24.06.2025

'उद्यान प्रशिक्षण' कार्यशाला हरियाली को जनभागीदारी से दें नया आयाम

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार शहर को अधिक स्वच्छ, सुंदर एवं हरित बनाने के उद्देश्य से 'उद्यान प्रशिक्षण' नामक एक विशेष कार्यशाला श्रृंखला प्रारंभ की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य प्रकृति प्रेमियों, बागवानी के प्रति उत्साही नागरिकों एवं नर्सरी स्थापना में रुचि रखने वाले लोगों को व्यावहारिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना है। **कार्यशाला की तिथियां एवं स्थान:** 30 जून 2025 (सोमवार) पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क, पड़ाव (प्रातः 11:00 बजे से) ।7 जुलाई 2025 (सोमवार) वीडीए पार्क / डीआईजी कॉलोनी पार्क (प्रातः 11:00 बजे से)। 5 जुलाई 2025 (मंगलवार) रविदास पार्क (प्रातः 11:00 बजे से)। **कार्यशालाओं में प्रतिभागियों को इन विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा:** घरेलू या व्यवसायिक स्तर पर नर्सरी की स्थापना की विधियां, मौसमी पौधों की कटिंग एवं रोपण तकनीक, खाद व जल का संतुलित उपयोग मात्रा, समय और विधि, पौधों के लिए उपयुक्त 'बेड' का निर्माण आदि विषयों पर लोगों को जानकारी दी जायेगी।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 24.06.2025

'एचएफएल' एरिया में अब कर सकेंगे भवनों की मरम्मत

वाराणसी (एसएनबी)। वीडीए के निरंतर प्रयासों से अब सम्पूर्ण एचएफएल क्षेत्र के अंतर्गत भवनों की मरम्मत की अनुमति संभव हो सकी है। शासन द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है, जिससे काशीवासियों को राहत मिलेगी। गौरतलब है कि न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 2015 में शासनादेश द्वारा केवल गंगा नदी से 200 मीटर के भीतर मरम्मत की अनुमति दी गई थी। जनहित को ध्यान में रखते हुए वाराणसी विकास प्राधिकरण लगातार यह प्रयास कर रहा था कि यह अनुमति सम्पूर्ण एचएफएल क्षेत्र तक विस्तारित हो। अब शासन द्वारा जारी नवीन आदेश से इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और सम्पूर्ण एचएफएल क्षेत्र में मरम्मत की अनुमति देने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इससे काशीवासी अब अपने भवनों की मरम्मत सुचारु रूप से करा सकेंगे। यह अनुमति एनएमसीजी के आदेश 2016 तथा न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेशों के अधीन प्रभावी होगी।

आज–दि0 24.06.2025

वीडीए उपाध्यक्षने हेल्प डेस्क किया उद्घाटन

विकास प्राधिकरणके उपाध्यक्ष पुलकित गर्गने सोमवारको परिसरमें बने हेल्प डेस्कके नवीनतम रूमका उद्घाटन किया। विप्रा उपाधयक्षने बताया कि यहांसे नागरिकोंको विप्रा से सम्बन्धित सभी जानकारियां मिलेगी। डेस्कमें सभी नयी और पुरानी जानकारी मिलनेसे नागरिकोंकी समस्याको हल करनेमें आसानी होगी। कार्यक्रममें सचिव वेदप्रकाश मिश्र और अन्य अधिकारी शामिल थे।